रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 71] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 10, 1987/माघ 21, 1908

No. 71] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 10, 1987/MAGHA 21, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 1987

अधिसूचना

सा. का. नि 86(अ) :– केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खनिज रियायत नियम 1960 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 1982 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खनिज रियायत नियम, 1960 में –

(1) नियम 1, 4क, 5,6,7 और 7क का लोप किया जाएगा।

(2) नियम 9 के उपनियम (2) में –

(i) खंड (ख) और (ग) का लोप किया जाएगा।

(ii) खंड (ग) के पश्चात् किन्तु प्रथम परन्तुक से पूर्व, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात :—

(ड) कोई शपथ पत्र यह कथन करते हुए कि आवेदक ने;

(i) अद्यतन आय-कर विवरणियां भरी है,

(ii) उस पर निर्धारित आय-कर संदाय कर दिया है, और

(iii) आय-कर अधिनियम, 1961 में यथा उपबंधित स्वयं निर्धारण के आधार पर आय-कर का संदाय कर दिया है,

(च) प्रत्येक राज्य में, खनिजधारक क्षेत्रों की विशिष्टियां प्रदर्शित करते हुए कोई ऐसा शपथ पत्र, जिसे आवेदक या उसके साथ संयुक्त रूप से कोई व्यक्ति –

(i) किसी पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के अधीन पहले से ही धारण कर रहा है,

(ii) उसके लिए आवेदन किया गया किन्तु मंजूर नहीं किया गया है,

(iii) उसके लिए साथ-साथ आवेदन किया है।

(छ) लिखित रूप में यह कथन किया गया है कि आवेदक ने,

जहां भूमि उसके स्वामित्व में नहीं है, उस क्षेत्र में भूमतह अधिकार प्राप्त कर लिया है या पूर्वेक्षण संक्रियाएं प्रारम्भ करने के लिए स्वामी की सहमति प्राप्त कर ली है। परन्तु, ऐसा कोई कथन वहां आवश्यक नहीं होगा जहां भूमि सरकार के स्वामित्व में है ;—

(ii) प्रथम परन्तुक में "खनन शब्दों के पश्चात्" "या आय-कर संबंधी प्रयोजन" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

3. नियम 10 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"10-क ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो भारतीय राष्ट्रिक नहीं है, केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में जब भारतीय राष्ट्रिक नहीं है केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय, किसी खनिज को बाबत कोई पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति मंजूर या नवीकृत नहीं की जाएगी।"

4 नियम 11 के उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :—

"(2)(क) पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के नवीकरण का आवेदन, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के अवसान से कम से कम नब्बे दिन पूर्व किया जाएगा और उसके साथ निम्नलिखित संलग्न होगा :—

(i) आवेदक द्वारा पहले ही आरम्भ किए गए पूर्वेक्षण संक्रियाओं से संबंधित कोई कथन ;

(ii) उपगत व्यय की रकम;

(iii) घंटों और दिनों की संख्या जिनमें कार्य किया गया, और

(iv) वह अवधि जो पूर्वेक्षण कार्य को पूरा करने के लिए आवेदित है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा किसी पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के नवीकरण के आवेदन का निपटारा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के अवसान की अवधि से पूर्व किया जाएगा और यदि आवेदन का निपटारा उस अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो, अनुज्ञप्ति को, अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए विहित अवधि से अनधिक अवधि के लिए या उस अवधि के लिए जिसके लिए आवेदन किया गया है, जो भी कम हो, नवीकृत किया गया समझा जाएगा।"

5 नियम 12 के उपनियम (1) में,

"राज्य सरकार," शब्दों के पश्चात्, "सुनवाई के अवसर दिए जाने के पश्चात्" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

6 नियम 14 के उपनियम (1) में, खंड (ii) के पश्चात् किन्तु परन्तुक से पहले निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात :

"(iii) अनुज्ञप्तिधारी, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन समय-समय पर विहित न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी का संदाय नहीं करेगा,

(ix) अनुज्ञप्तिधारी खान अधिनियम, 1952 के उपबंधों का अनुपालन करेगा;

(x) अनुज्ञप्तिधारी, उसी क्षेत्र में या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा चुने गए किसी अन्य क्षेत्र में, किसी पूर्वेक्षण संक्रिया के कारण नष्ट हुए वृक्षों की संख्या के दो गुने से अन्यून वृक्ष या उस विस्तार तक जो संभव हो, वृक्षारोपण और संक्रियाओं द्वारा नष्ट हुई पुष्प वनस्पति और अन्य वनस्पतियों के पुन: स्थापन के लिए अपने खर्चे पर ऐसे उपाय करेगा जैसा कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निदेश दिया जाएगा।

(xi) अनुज्ञप्तिधारी, भूमि के सतह के अधिभोगी को ऐसे प्रतिकर का संदाय करेगा जो इन नियमों के अधीन संदेय हो;

(xii) अनुज्ञप्तिधारी धारा 18 के अधीन विरचित खनिज संरक्षण और विकास नियमों का पालन करेगा।"

7. नियम 22 के उपनियम 3 के खंड (i) में—

(i) उपखंड (ख) और (ग) का लोप किया जाएगा;

(ii) उपखंड (घ) में, प्रथम पुस्तक में पहले निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् ;

"(ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित कोई खनन रेखांक 1 खनन रेखांक में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे—

(1) खनिज निकाय का विस्तार उस स्थल या उन स्थलों को जहां प्रथम वर्ष में उत्खनन किया जाता है और उसके विस्तार को दर्शित करते हुए क्षेत्र का रेखांक, विस्तृत वर्गवार आंकड़े और आवेदक या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इकट्ठे किए गए पूर्वेक्षण आंकड़ों के आधार पर उत्खनन के स्थल (स्थलों) के विस्तृत रेखांक पट्टे के प्रथम पांच वर्षों के लिए खनन की कोई अंतिम स्कीम ,

(ii) क्षेत्र की खनिज आरक्षितियों सहित भूविज्ञान और आश्मिकी के ब्यौरे;

(iii) श्रमिक खनन या मशीनरी और यांत्रिक युक्तियों के उपयोग द्वारा खनन;

(4) प्राकृतिक जल मार्ग, वन क्षेत्र और वृक्षों की सघनता यदि कोई हो, वनों में खनन क्रियाओं के समाधान, भूमि सतह और वायु तथा जलप्रदूषण सहित पर्यावरण वर्णित करने वाले क्षेत्र का रेखांक; वृक्षारोपण भूमि पुनरुद्धार द्वारा क्षेत्र के पुनर्स्थापन के लिए स्कीम के ब्यौरे, पर्यावरण नियंत्रण युक्तियों का उपयोग, और ऐसे अन्य उपाय जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निदेशित किए जाए;

(5) अन्य कोई पदार्थ जिसके लिए केन्द्रीय सरकार आवेदक से व्यवस्था करने की अपेक्षा कर सकेगी।

(च) कोई शपथ पत्र यह कथन करते हुए कि आवेदक ने, —

(i) अद्यतन आय-कर विवरणियां भरी है,

(ii) उस पर निर्धारित आय कर संदाय कर दिया है; और

(iii) आयकर अधिनियम, 1961 में यथा उपबंधित स्वयं निर्धारण के आधार पर आय-कर का संदाय कर दिया है ;

(छ) प्रत्येक राज्य में, खनिजधार क्षेत्रों की विशिष्टियां दर्शित करते हुए कोई ऐसा शपथ पत्र जिसे आवेदक या उसके साथ संयुक्त रूप से कोई व्यक्ति—

(i) किसी पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के अधीन पहले से ही धारण कर रहा है ;

(ii) उसके लिए आवेदन किया है किन्तु मंजूर नहीं किया गया है; और

(iii) उसके लिए साथ-साथ आवेदन किया है।

(ज) लिखित रूप में यह कथन किया गया है कि आवेदक ने, जहां भूमि उसके स्वामित्व में नहीं है, उस क्षेत्र में भूमतह अधिकार प्राप्त कर लिया है या पूर्वेक्षण संक्रियाएं प्रारंभ करने के लिए स्वामी की सहमति प्राप्त कर ली है, परन्तु, ऐसा कोई कथन वहां आवश्यक नहीं होगा जहां भूमि सरकार के स्वामित्व में है।"

8. नियम 22 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

"22क खनन प्रक्रियाएं, खनन रेखांक के अनुसार होंगी ।

(1) खनन सुविधाएं, केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित खनन रेखांक के अनुसार की जाएंगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से खनन पट्टे की प्रक्रिया के दौरान कोई खनन रेखांक पर रूपांतरित की जा सकेगी ।

22ख खनन रेखांक मान्यता प्राप्त व्यक्तियों द्वारा तैयार किया जाएगा :—

(1) केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी रेखांक का तब तक अनुमोदन नहीं किया जाएगा जब तक कि वह केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त किसी अर्हित व्यक्ति द्वारा तैयार न किया गया हो ।

(2) उपनियम (1) के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को तब तक मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी जब तक कि उसके पास —

(i) किसी केन्द्रीय अधिनियम, किसी प्रान्तीय अधिनियम या किसी राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित किसी विश्वविद्यालय द्वारा जिसे अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त कोई संस्था भी है, प्रदान की गई खनन इंजीनियरी में कोई डिग्री या भूविज्ञान में कोई स्नातकोत्तर डिग्री न हो या भारत से बाहर किसी विश्वविद्यालय या संस्था द्वारा प्रदान की गई कोई समतुल्य अर्हता न हो और

(ii) डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् खनन संक्रियाओं में किसी पर्यवेक्षकीय हैसियत में कार्य करने का पांच वर्ष का अनुभव न हो ।

(3) खनन रेखांक तैयार करने के लिए मान्यता प्राप्त कोई व्यक्ति खनन रेखांक में उपांतरण भी कर सकेगा ।

22ग. केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता देना ।

(1) नियम 22ख के उपनियम (2) में निर्दिष्ट अर्हताएं और अनुभव रखने वाला व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त संक्षम प्राधिकारी को, किसी मान्यता प्राप्त व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकेगा ।

(2) संक्षम प्राधिकारी, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह ठीक समझे, मान्यता की मंजूरी दे सकेगा या इंकार कर सकेगा और जहां मान्यता देने से इंकार किया जाता है, वहां संक्षम प्राधिकारी, ऐसे कारणों को जो लेखबद्ध किए जाएंगे और उन्हें आवेदक को संसूचित किया जाएगा ।

(3) ऐसी कोई मान्यता दो वर्ष की किसी प्रारंभिक अवधि के लिए दी जाएगी और वैसे ही अवधि के लिए स्वीकृत की जाएगी :

परंतु संक्षम प्राधिकारी संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, मान्यता नवीकृत करने से इंकार कर सकेगा ।

(4) मान्यता के लिए किसी आवेदन को मंजूर या नवीकृत करने से इंकार करने के लिए संक्षम प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार को अपील की जाएगी ।

स्पष्टीकरण

इस नियम के प्रयोजन के लिए भारतीय खान ब्यूरो के खान महा-नियंत्रक और प्रादेशिक खान नियंत्रक को संक्षम प्राधिकारी समझा जाएगा ।"

9 नियम 23 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत: स्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"23क. ऐसे व्यक्तियों को, जो भारतीय राष्ट्रिक नहीं हैं खनन पट्टा मंजूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना—केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में जो भारतीय राष्ट्रिक नहीं है किसी खनन की बाबत कोई पट्टा मंजूर या नवीकृत नहीं किया जाएगा ।"

10. नियम 24 के उपनियम (2) का लोप किया जाएगा ।

11 नियम 24 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"24क. खनन पट्टे का नवीकरण ।

(1) खनन पट्टे के नवीकरण के लिए कोई आवेदन प्ररूपत्र में राज्य सरकार, ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी की मार्फत जिसे राज्य सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे उस तारीख से पूर्व जिसको पट्टा की अवधि का अवसान होने वाला है, किया जाएगा ।

(2) अधिनियम की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी खनिज की बाबत मंजूर किए गए किसी खनन पट्टे के प्रथम नवीकरण के लिए कोई आवेदक, राज्य सरकार द्वारा धारा 8 की उपधारा (2) के उपबंधों और केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहते हुए मंजूर किया जा सकेगा ।

(3) ऐसे खनिज की बाबत जो अधिनियम की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं है, मंजूर किए गए किसी खनन पट्टे के प्रथम नवीकरण के लिए कोई आवेदन राज्य सरकार द्वारा धारा 8 की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मंजूर किया जा सकेगा ।

(4) किसी खनन पट्टे के नवीकरण के लिए किसी आवेदन का निपटारा उसके प्राप्त होने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर, किया जायेगा ।

(5) यदि किसी आवेदन का निपटारा उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो उसे इंकार कर दिया गया समझा जाएगा ।

(6) यदि राज्य सरकार द्वारा पट्टे के अवसान की तारीख से पूर्व उपनियम (1) में निर्दिष्ट समय के भीतर समय किसी खनन पट्टे के प्रथम नवीकरण के लिए किए गए किसी आवेदन का निपटारा नहीं किया गया है, तो उस पट्टे की अवधि, राज्य सरकार के उस पर आदेश की प्राप्ति की तारीख से एक वर्ष की और अवधि तक या उसकी समाप्ति तक जो भी कम हो, बढ़ाई गई समझी जाएगी ।

(7) किसी खनिज की बाबत खनन पट्टे का द्वितीय या पश्चात्वर्ती नवीकरण, राज्य सरकार द्वारा केवल केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से और धारा 8 की उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मंजूर किया जाएगा ।

24ख ऐसे किसी व्यक्ति के पक्ष में खनन पट्टे का नवीकरण जो स्वयं अपने उद्योग में खनिज का उपयोग कर रहा है—ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो किसी ऐसे खनिज के लिए, जिसका उपयोग उसके स्वयं के उद्योग में होता है, खनन पट्टा धारण कर रहा है दस वर्ष की अवधि के लिए अपने खनन पट्टे के नवीकरण के लिए हकदार होगा जब तक कि वह उससे कम अवधि के लिए आवेदन नहीं करता है ।

स्पष्टीकरण —'अपना उद्योग' से ऐसा कोई उद्योग अभिप्रेत है, जिसका पट्टेदार स्वामी है या जिसमें वह पचास प्रतिशत से अन्यून नियंत्रक हित रखता है ।'

12. नियम 26 के उपनियम (1) में, 'राज्य सरकार' शब्दों के पश्चात्" "सुनवाई का कोई अवसर दिए जाने के पश्चात् और" शब्द अंत स्थापित किए जाएंगे ।

13 नियम 27 में—

(1) उपनियम (1) के खंड (ग) में,

"अनुसूची IV में विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर जैसी कि समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नियत की जाए" अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर' शब्द रखे जाएंगे,

(ii) उपनियम (1) के खण्ड (त) के पश्चात् निम्नलिखित खंड जोड़े जाएंगे, अर्थात् —

"(थ) पट्टेदार, समय-समय पर, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन विहित, न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी का संदाय नहीं करेगा,

(द) पट्टेदार खान अधिनियम, 1952 के उपबन्धों का पालन करेगा,

(ध) पट्टेदार उसी क्षेत्र या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा चुने गए किसी अन्य क्षेत्र में किसी पूर्वेक्षण संक्रिया के कारण नष्ट हुए वृक्षों की संख्या के दो गुने से अन्यून वृक्ष या उस विस्तार तक, जो संभव हो, वृक्षारोपण, ऐसी संक्रियाओं द्वारा नष्ट हुई पुष्पवनस्पतियों के पुनः वृक्षारोपण के उपाय करेगा ।

(न) पट्टेदार, भूमि की सतह के अधिभोगी को उतने प्रतिकर का संदाय करेगा, जितना इन नियमों के अधीन संदेय हो,

(प) पट्टेदार, धारा 18 के अधीन विरचित खनिज संरक्षण और विकास नियमों का अनुपालन करेगा ।"

14 नियम 28 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् —

"28 पट्टों का व्यगत होना ।

(1) इन नियमों की अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए जहां पट्टे के निष्पादन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर खनन संक्रियाएं प्रारंभ नहीं की गई हैं, या ऐसी संक्रियाओं प्रारंभ के पश्चात् एक वर्ष की निरंतर अवधि के लिए बंद कर दी गई हैं तो राज्य सरकार, आदेश द्वारा खनन पट्टे को व्ययगत घोषित कर देगी और पट्टेदार को इस घोषणा को समुचित करेगी ।

(2) जहां पट्टेदार, पट्टे के निष्पादन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर खनन संक्रियाएं प्रारंभ करने में असमर्थ रहता है या अपने नियंत्रण से परे कारणों से एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए खनन संक्रियाएं बंद रखता है, वहां वह ऐसी अवधि के अवसान के कम से कम तीन मास पूर्व, उसके कारणों को स्पष्ट करते हुए, राज्य सरकार को एक आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा,

(3) उपनियम (2) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ 200 रु की फीस संलग्न की जाएगी,

(4) राज्य सरकार, उप-नियम (2) के अधीन किए गए किसी आवेदन की प्राप्ति पर और खनन संक्रियाओं के प्रारंभ न करने या उसके बंद करने के कारणों की पर्याप्तता और वास्तविकता के बारे में अपना समाधान हो जाने पर, उस तारीख से पूर्व जिसका पट्टा अन्यथा व्ययगत हो, पट्टे की अवधि को बढ़ाने या बढ़ाने से इंकार करने का कोई आदेश पारित कर सकेगी

परन्तु, जहां राज्य सरकार उपनियम (2) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर, उस तारीख के अवसान से पूर्व जिसका पट्टा अन्यथा व्ययगत हो गया हो, कोई आदेश पारित नहीं करती है, वहां पट्टे की अवधि राज्य सरकार द्वारा आदेश किए जाने तक या एक वर्ष की अवधि तक जो भी पहले हो, बढ़ाई गई समझी जाएगी ।

स्पष्टीकरण : जहां खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर खनन संक्रियाओं का प्रारंभ —

(क) सतही अधिकारों के अधिग्रहण या

(ख) पट्टा क्षेत्र का कब्जा लेने, या

(ग) मशीनरी के प्रदाय या प्रतिष्ठापन, या

(घ) बैंकों या किसी वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में विलंब होने के कारण और पट्टेदार सम्यक् रूप से किसी शपथ ग्रहण शपथ-पत्र द्वारा समर्थित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में समर्थ है, वहां यदि संक्रियाओं के प्रारंभ नहीं किए जाने के लिए पर्याप्त कारण है और/या वह पट्टेदार के नियंत्रण में परे है तो राज्य सरकार विचार कर सकेगी ।

15 नियम 59 के उपनियम (1) के खंड (ङ) में 'सरकार द्वारा आरक्षित" शब्दों के स्थान पर "राज्य सरकार द्वारा आरक्षित' शब्द रखे जाएंगे ।

16 नियम 71 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय और नियम जोड़े जाएंगे, अर्थात् —

अध्याय X

72 सतह के अधिकारों आदि के स्वामी को प्रतिकर का संदाय —

(1) पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे का धारक, उस भूमि की सतह के अधिभोगी को, जिस पर वह, यथास्थिति पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा धारण करता है, उसने वार्षिक प्रतिकर का संदाय करने का दायी होगा जिसका राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा उपनियम (2) से (4) में उपबंधित रीति से अवधारित किया जाए ।

(2) उपनियम (4) में निर्दिष्ट भूमि से भिन्न कृषि भूमि की दशा में वार्षिक प्रतिकर की रकम की गणना पूर्ववर्ती तीन वर्षों के लिए समरूप भूमि में खेती से प्राप्त औसत वार्षिक शुद्ध आय के आधार पर की जाएगी ।

(3) गैर कृषि भूमि की दशा में वार्षिक प्रतिकर की रकम की गणना पूर्ववर्ती तीन वर्षों के लिए समरूप भूमि के औसत वार्षिक भाटक मूल्य के आधार पर की जाएगी ।

(4) उपनियम (1) में निर्दिष्ट वार्षिक प्रतिकर उस तारीख को या उससे पहले जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, संदेय होगा ।

73 नुकसान के लिए प्रतिकर का निर्धारण :—

(1) किसी पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे की समाप्ति के पश्चात् राज्य सरकार भूमि मे पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाओं द्वारा हुए नुकसान का यदि कोई हो निर्धारण करेगी और, यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार द्वारा भूमि सतह के अधिभोगी को सदेय प्रतिकर की रकम अवधारित करेगी ।

(2) ऐसा प्रत्येक निर्धारण पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के समाप्त किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर, किया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा उसका क्रियान्वयन किया जाएगा।

74. जहां भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण आदि द्वारा पूर्वेक्षण संक्रियाएं की जाती हैं वहां अधिसूचना का किया जाना ।

(1) जहां, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय खान ब्यूरा, केन्द्रीय सरकार के अणु ऊर्जा विभाग के अणु खनिज प्रभाग, राज्य सरकार के भूतत्व एवं खनिजकर्म निदेशालयों (चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों) या खनिज गवेषण निगम लिमिटेड द्वारा पूर्वेक्षण संक्रियाएं की जाती हैं, वहां राज्य सरकार, उस क्षेत्र, और उस अवधि का ब्यौरा देते हुए, जिसके लिए पूर्वेक्षण संक्रियाएं की जाती हैं, राजपत्र में अधिसूचना जारी करेगी ।

(2) राज्य सरकार, किसी अन्य व्यक्ति को किसी ऐसे क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए जिसके लिए उपनियम (i) के अधीन कोई अधिसूचना जारी की गई है कोई पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा मंजूर नहीं करेगी।

(3) राज्य सरकार उपनियम (i) के अधीन जारी की गई अधिसूचना को प्रतिसंहृत कर सकती है, यदि अधिसूचना में कथित अवधि से पहले पूर्वेक्षण संक्रियाएं पूरी कर ली गई हों ।

75. राज्य सरकारा द्वारा पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाएं :—

(1) जहां कोई राज्य सरकार, किसी खनिज की पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाओं के लिए प्रस्थापना करती है, वहां वह राजपत्र में ऐसे क्षेत्र का ब्यौरा देते हुए और ऐसी अवधि जिसके भीतर ऐसी संक्रियाएं करने की प्रस्थापना की गई है, अधिसूचना जारी करेगी।

(2) जहां किसी व्यक्ति द्वारा राज्य सरकार के साथ किसी संविदा या उपसंविदा के आधार पर या किसी अन्य आधार पर कोई पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाएं की जाती हैं, वहां प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, इन नियमों के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार समझा जाएगा और वह तदनुसार इसके सभी उपबंधों और खनिज संरक्षण और विकास नियम, 1958 के उपबंधों के अधीन होगा"।

17. अनुसूची 1 में,—

(1) प्ररूप क, क-1 और क-2 का लोप किया जाएगा।

(2) प्ररूप ख के पैरा 3 में,—

(क) खंड (V) और (VI) का लोप किया जाएगा;

(ख) खंड (X) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(Xक) (क) क्या आवेदक, उस क्षेत्र पर, जिसके लिए वह पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की अपेक्षा करता है, सतही अधिकार रखता है ?

(ख) यदि नहीं, तो क्या उसने पूर्वेक्षण संक्रियाओं के लिए भूमि के स्वामी और अधिभोगी की सहमति प्राप्त कर ली है। यदि ऐसा है तो स्वामी और अधिभोगी से प्राप्त की गई लिखित सहमति फाइल की जाए" ।

(ग) खंड (xii) के स्थान के निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(xiii) ऐसे शपथपत्र के साथ जिसमें यह वर्णित हो कि आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन यथाविहित आयकर की अद्यतन विवरणियां फाइल कर दी गई हैं और संदेय कर का संदाय जिसके अन्तर्गत स्वयं निर्धारण कर भी सम्मिलित है, कर दिया गया है।'

(घ) खंड (xi) में,—

"राज्य सरकार की अधिकारिता के भीतर" शब्दों के स्थान पर "प्रत्येक राज्य में किसी शपथपत्र द्वारा सम्यक रूप से समर्थित" शब्द रखे जाएंगे

(iii) प्ररूप ग का लोप किया जाएगा,

(vi) प्ररूप ङ के पैरा 2 मे,—

(क) खंड (v) और (vi) का लोप किया जाएगा,

(ख) खंड (vii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात :—

"(vii) ऐसे शपथपत्र के साथ जिसमें यह वर्णित हो कि आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन यथाविहित आयकर की अद्यतन विवरणियां फाइल कर दी गई हैं और संदेय कर का संदाय जिसके अंतर्गत स्वयं निर्धारण कर भी सम्मिलित है, कर दिया गया है।"

(ग) खंड (xii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(xiiक) (क) क्या आवेदक, उस भूमि क्षेत्र पर, जिसके लिए वह पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के नवीकरण की अपेक्षा करता है, सतही अधिकार बनाए रखे हुए है ?

यदि नही तो, क्या उसने सर्वेक्षण संक्रियाओं के लिए स्वामी और अधिभोगी की सहमति प्राप्त कर ली है ? यदि ऐसा है तो भूमि के स्वामी और अधिभोगी से प्राप्त की गई लिखित सहमति फाइल की जाए ।

(xiiख) प्रत्येक राज्य में, खनिजवार क्षेत्रों की विशिष्टियां दर्शित करते हुए कोई ऐसा शपथपत्र जिसे आवेदक या उसके साथ संयुक्त रूप से कोई व्यक्ति—

(i) किसी पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के अधीन पहले से ही धारण कर रहा है,

(ii) उसके लिए आवेदन किया है किन्तु मंजूर नहीं किया गया है; और

(iii) उसके लिए साथ-साथ आवेदन किया है।''

(v) प्ररूप च में—

(क) भाग II में, पैरा (9) के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(9क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा समय-समय विहित न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी का संदाय नहीं करेगा,

(9ख) खान अधिनियम, 1952 के उपबंधों का अनुपालन करेगा ।

(ङ) अपने खर्चे पर पर्यावरण के संरक्षण के उपाय जैसे कि वृक्षारोपण खनन की गई भूमि का पुनरुद्धारा पर्यावरण नियंत्रण युक्तियो का उपयोग और ऐसे अन्य उपाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किए जाए।

(छ) भूमि के सतह के अधिभोगी को, इन नियमों में अधिकथित तारीख और रीति से प्रतिकर का संदाय करेगा;"

(ख) भाग-IV के पैरा (3) में, "पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों का कोई भंग नहीं किया गया और" शब्दो के पश्चात् "ऐसी भूमि में खनिज संसाधनो की स्थापना करने के लिए पूर्वेक्षण संक्रियाएं की गई हैं" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

(ग) पैरा 3(क) में, "जो उस अवधि की आधी होगी। जिसके लिए अनुज्ञप्ति मूलतः अनुदत्त की गई है" शब्दों के स्थान पर "अधिनियम, की धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए विहित अवधि से या उस अवधि से जिसके लिए आवेदन किया गया है; जो भी कम हो, से अनधिक के लिए" शब्द रखे जाएंगे।

(vi) प्रपत्र ज मे, नियम 7 के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"7क अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर प्रत्येक राज्य में उस क्षेत्र और खनिजो के ब्यौरे, जिनके लिए आवेदक, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति रखना है,"

(vii) प्रपत्र झ के स्थान पर, निम्नलिखित प्रपत्र रखा जाएगा अर्थात् :—

"प्रपत्र झ"

(तीन प्रतियो मे प्रस्तुत किया जाए)

..... सरकार खनन पट्टे के लिए आवेदन [खनिज रियायत नियम, 1960 का नियम 22(1) देखें]

..... मे ..... (तारीख) को प्राप्त हुआ प्राप्त करने वाले अधिकारी के आद्याक्षर	तारीख ..... 19 ..... सेवा मे, ...

मान्यवर :

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता हूं/करते है कि मुझे / हमें खनिज रियायत नियम, 1960 के अधीन खनन पट्टा मंजूर किया जाए"।

2. इस आवेदन की बाबत क्रमशः 500 रु. और 1000 रु. की राशि जो उक्त नियम के नियम 22 के उपनियम (3) के अधीन प्रारंभिक व्ययों के बारे में संदेय फीस है, (स्टेट बैंक आफ इंडिया/खजाने ..... की चालान रसीद सं ..... तारीख ..... द्वारा जमा कर दी गई है।

3. अपेक्षित विशिष्टियां नीचे दी गई हैं :—

(1) आवेदक का नाम पूरे पते सहित
आवेदक की प्रास्थिति———————

(2) क्या आवेदक कोई प्राइवेट व्यष्टि/सहकारी/फर्म/संगम/प्राइवेट कंपनी/लोक कंपनी/पब्लिक सेक्टर उपक्रम/संयुक्त सेक्टर उपक्रम या कोई अन्य है।

(3) यदि आवेदक,—

(क) व्यष्टि हो, तो उसकी राष्ट्रिकता, अर्हताएं और खनन के संबंध मे उसका अनुभव।

(ख) कोई प्राइवेट कंपनी हो तो,—
सभी सदस्यो/बोर्ड के निदेशको की राष्ट्रिकता के साथ हो रजिस्ट्रीकरण का स्थान और निगमन के प्रमाणपत्र की प्रति।

(ग) कोई लोक कंपनी हो तो उसके निदेशको की राष्ट्रिकता, भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा धारित शेयर पूंजी की प्रतिशतता और, उसके साथ निगमन का स्थान और निगम प्रमाणपत्र की प्रति :

(ग) फर्म या संगम हो, तो फर्म के सभी भागीदारों या संगम के सदस्यों की राष्ट्रिकता ;

(ङ) यदि सहकारिता हो तो, गैर भारतीय सदस्यों यदि कोई हो की राष्ट्रिकता और उसके साथ रजिस्ट्रीकरण का स्थान तथा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति

(4) आवेदक की वृत्ति या कारबार की प्रकृति

(5) संलग्न दस्तावेजों की विशिष्टियां—

दस्तावेज	निदेश
(क) खनन संबंधी शोध्य समाशोधन प्रमाणपत्र	
या	
(ख) खनन संबंधी शोध्य समाशोधन, समाशोधन प्रमाणपत्र के बदले शपथपत्र इस शर्त के अधीन रहते हुए कि आवेदन किए जाने के नब्बे दिन की अवधि के भीतर खनन पट्टे से संबंधित शोध्य समाशोधन प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाए।	
या	
(ग) शपथपत्र, जब कोई खनन पट्टा धारण न कर रहा हो।	
(घ) इस आशय का शपथपत्र कि आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन यथाविहित अद्यतन आयकर विवरणियां फाइल कर दी है और संदेय कर का, जिसके अंतर्गत स्वयं निर्धारण कर भी सम्मिलित है, संदाय कर दिया गया है।	

(6) खनिज जिसका/जिनका खनन करने का आवेदक का आशय है

(7) वह अवधि जिसके लिए खनन पट्टा अपेक्षित है

(8) उस क्षेत्र का विस्तार जिसके लिए खनन पट्टा अपेक्षित है

(9) उस क्षेत्र के ब्यौरे जिसके बारे में खनन पट्टा अपेक्षित है

जिला	तालुका	ग्राम	खसरा सं.	प्लाट सं.	क्षेत्र	स्वामित्व/अधिभोग

(10) क्षेत्र का संक्षिप्त वर्णन जिसमें निम्नलिखित के प्रति विशेष रूप से निर्देश हो

(क) क्या आवेदक, उस क्षेत्र पर, जिसके लिए वह कोई खनन अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए आवेदन कर रहा है, सतही अधिकार रखता है।

(ख) यदि नहीं तो, क्या उसने खनन संक्रियाओं के लिए भूमि के स्वामी और अधिभोगी की सहमति प्राप्त कर ली है, यदि ऐसा है तो स्वामी और अधिभोगी की लिखित रूप में सहमति प्राप्त की जाए और फाइल की जाए।

(11) (क) सरिताओं का या झीलों जैसे प्राकृतिक लक्षणों के संबंध में क्षेत्र की स्थिति।

(ख) ग्राम क्षेत्र की दशा में, ग्राम का नाम, खसरा सं., प्रत्येक क्षेत्र या उसके भाग का, जिसके लिए आवेदन किया गया है हेक्टर क्षेत्र।

(ग) ऐसे क्षेत्र की दशा में जिसके लिए आवेदन किया गया है वन क्षेत्र के अधीन आता हो, तो निम्नलिखित विशिष्टियां दी जाएं —

(1) वन प्रभाग, ब्लाक और रेन्ज ;

(2) वन की विधिक प्रास्थिति (अर्थात् आरक्षित, संरक्षित अवर्गीकृत आदि) ;

(3) क्या वह राष्ट्रीय उद्यान या वन्यप्राणी अभयारण्य का भाग है ;

(4) क्षेत्र में वनस्पति की किस्म और उसका विस्तार

(5) ऐसे क्षेत्रों के लिए, जहां कोई वन मानचित्र या भूकर मानचित्र उपलभ्य नहीं है ऐसे पैमाने पर एक स्केच रेखांक प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें आवेदक क्षेत्र और यदि आवेदित क्षेत्र का किसी अन्य विद्यमान पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के क्षेत्रों की सीमाओं के साथ कोई सामान्य बिन्दु या रेखा हो तो उस विद्यमान खनन पट्टे या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति क्षेत्र की सीमा यदि कोई हो, दर्शित हो।

(12) आवेदित क्षेत्र रेखाओं पर नीचे बताए गए अनुसार चिह्नित किया जाना चाहिए ।

(क) यदि क्षेत्र का कोई भूकर मानचित्र उपलब्ध है तो इस मानचित्र पर ग्राम का नाम, खसरा, संख्यांक, प्रत्येक क्षेत्र (फील्ड) और उसके भाग का क्षेत्रफल हेक्टेयर में दर्शित करते हुए वह क्षेत्र चिह्नित किया जाना चाहिए ।

(ख) वन मानचित्रों की दशा में मानचित्र पर रेन्ज तथा पातन श्रेणियां दर्शित करते हुए क्षेत्र चिह्नित किया जाना चाहिए ।

(ग) यदि भूकर मानचित्र और वन मानचित्र दोनों ही उपलब्ध नहीं हैं तो वह क्षेत्र ऐसे पैमाने पर बनाए गए एक रफ रेखांक पर चिह्नित किया जाना चाहिए जिससे कि इस रेखांक में सभी महत्वपूर्ण सतही तथा प्राकृतिक लक्षण, उन रेखाओं की लम्बाई चौड़ाई जिनसे क्षेत्र की सीमा बनती है और किसी महत्वपूर्ण प्रमुख तथा निश्चित बिन्दु या बिन्दुओं से सभी कोण बिन्दुओं के दिक्मान तथा दूरी दर्शित होती हो ।

(13) प्रत्येक राज्य में एक आवेदन पत्र द्वारा समर्पित उन क्षेत्रों की उन खनिजों के अनुसार विशिष्टियां :—

(क) जिनके लिए आवेदक या उसके साथ संयुक्त हित रखने वाला कोई व्यक्ति पहले ही खनन पट्टे के अधीन उन्हें धारण करता है ।

(ख) जिनके लिए आवेदक या उसके साथ संयुक्त हित रखने वाला कोई व्यक्ति आवेदन कर चुका है किन्तु वह मंजूर नहीं हुआ है, या

(ग) जिनके लिए आवेदक या उसके साथ संयुक्त हित रखने वाले व्यक्ति द्वारा एक साथ आवेदन किया जा रहा है ।

(14) यदि कोई संयुक्त हित हो तो उसकी प्रकृति ।

(15) (क) क्या आवेदक ऊपर (10) में वर्णित क्षेत्र की आवश्यक पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति धारण करते हैं ? यदि धारण करता हो तो उसका संख्यांक और उसकी मंजूरी की तारीख तथा वह तारीख जिस तारीख को उसका अवसान होने वाला है दीजिए ।

(ख) क्या आवेदक ने पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के अधीन धारित क्षेत्र में पूर्वेक्षण संक्रियाएं की है और राज्य सरकार को खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 16 द्वारा यथा अपेक्षित, अपनी रिपोर्ट भेज दी है ? यदि नहीं तो ऐसा न करने के कारण बताइए ।

(16) खनिज/अयस्क निकाय/निकायों का विस्तृत प्राचल :

(क) खुदाई की लंबाई, औसत चौड़ाई और गहराई :

(ख) चट्टान भित्ति और फुट/भित्ति पार्श्व

(ग) क्या क्षेत्र भवैज्ञानिक रूप से बड़े पैमाने पर व्यवधानयुक्त है या तुलनात्मक दृष्टि से भवैज्ञानिक व्यवधानों से मुक्त है । (क्षेत्र के भवैज्ञानिक मानचित्र की प्रति संलग्न की जाए)

(घ) श्रेणी (श्रेणियों) सहित निर्धारित आरक्षित (स्रोतक नमूनों के रसायनिक विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न की जाए)

(ङ) क्या क्षेत्र अक्षतपूर्व है, यदि नहीं तो वह विस्तार जिस तक इसमें पहले ही कार्य किया जा चुका है । पूरान कार्य की दशा में, क्षेत्र के भूवैज्ञानिक मानचित्र पर उनकी अवस्थितियां दर्शित की जाए

(17) खान का विस्तृत प्राचल :

(क) खनन संक्रियाओं के प्रारंभ की प्रस्तावित तारीख

(ख) प्रथम पांच वर्षों के दौरान खनिज उत्पादन की प्रस्तावित दर (वर्ष वार) ।

(ग) उत्पादन की प्रस्तावित दर, जब खान पूर्णरूप से विकसित हो ।

(घ) खान की पर्वानुमानित क्षमता :

(ङ) खनन की प्रस्तावित प्रणाली
(भूमिगत या विवृत)

(i) यदि भूमिगत हो तो, निक्षेप खनिज/अयस्क तल पहुंचने की प्रणाली, चाहे वह आनति है या कूपक के माध्यम से हो ।

(ii) यदि विदृत्त हो तो :
अयस्क अनुपात और संपूर्ण खड्डे हाल में अतिभार।

(घ) अतिभार/अपशिष्ट और कूड़े करकट को फैंकने के लिए चुनी गई भूमि की प्रकृति (भूमि का प्रकार क्या है, क्या वह कृषि योग्य चारागाह, अनुर्वरक, लवणीय आदि प्रकार की भूमि है) प्रस्तावित स्थल खान संकर्म रेखांक में दर्शित किया गया है। अपशिष्ट और कूड़े करकट को फेंकने के लिए पृथक रखे गए क्षेत्र का विस्तार भी हैक्टर में दें।

(18) केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित खनन् रेखांक।

(19) वह रीति जिससे निकाले गए खनिज का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाए :

(क) (i) यदि परिरोध उपयोग के लिए है तो संयंत्र की अवस्थिति और उद्योग :
(ii) भारत में खपत के लिए विक्रय के लिए :

(ख) यदि विदेश में निर्यात के लिए है, तो, उपदर्शित करें—

(i) उन देशों के नाम जिनके लिए उसका निर्यात किया जाना संभाव्य है, जहां खान की स्थापना 100% निर्यातोन्मुख या प्रतिबंधित आधार पर की जा रही है।

(ii) क्या खनिजों को कच्चे रूप में या संसाधन के पश्चात निर्यात किया जाएगा। संसाधन के प्रक्रमों को भी उपदर्शित करें, क्या अंतिम उत्पाद मध्यवर्ती या अंतिम प्रक्रम पर है।

(ग) यदि इसका उपयोग देश के भीतर किया जाना है तो,—

(1) उन उद्योग/उद्योगों को उपदर्शित करें जिनमें इसका उपयोग किया जाएगा।

(2) क्या इसका कच्चे रूप में या (कुचलकर/पीसकर/सज्जीकरण/विचूरण संसाधन के पश्चात् प्रदाय किया जाएगा।

(3) क्या इसे उन्नत करने की आवश्यकता होगी और यदि ऐसा है, तो क्या परिष्करण संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। ऐसे संयंत्र की क्षमता और वह अवधि जिस तक इसकी स्थापना हो जाएगी, उपदर्शित करें।

(घ) कोयला या अन्य प्रपुंज खनिजों/अयस्कों की दशा में, उपलब्ध विद्यमान रेल परिवहन सुविधा और यदि कोई, अतिरिक्त परिवहन सुविधा अपेक्षित हो तो, उसके ब्यौरे।

(20) खान के पर्यवेक्षण के लिए उपलब्ध तकनीकी कार्मिक का नाम, अर्हताएं और अनुभव।

(21) (i) आवेदक के वित्तीय साधन :
(ii) खान संनिर्माण के दौरान पूर्वानुमानित वार्षिक वित्तीय विनिधान और वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के प्रथम तक कुल विनिधान।

(22) (क) अपशिष्ट जल की प्रकृति (उदाहरणार्थ क्या अम्लीय है) यदि ऐसा है तो उसका आशयित पी.एच. मूल्य.

(ख) आवेदन पत्र के साथ खनन स्कीम के प्रमुख लक्षणों का विवरण संलग्न होना चाहिए। यह साधारणतया खनन सहायता रिपोर्ट में दी गई "परियोजना एक दृष्टि में" के आधार पर जिसके अंतर्गत पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित लक्षण भी है, होनी चाहिए।

मैं/हम एतद्द्वारा घोषित करता हूं/करते हैं कि ऊपर दी गई विशिष्टियां सही है और मैं/हम ऐसे कोई भी अन्य ब्यौरे जिनकी आप अपेक्षा करें जिनके अंतर्गत शुद्ध रेखांक तथा प्रतिभूति निक्षेप आदि आते हैं देने के लिए तैयार हूं/है।

भवदीय,

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान

तारीख

1 " = 1 मील के मापमान का स्थल रूपरेखीय मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण, हाथी बरखला, देहरादून, के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

यदि आवेदित खनिज अनुसूचित खनिज है तो मूल आवेदन के साथ तीन प्रतियों में विस्तृत रेखांक और स्थल रूपरेखीय मानचित्र संलग्न करना होगा।

टिप्पणी :—1 यदि आवेदन पर आवेदक के किसी प्राधिकृत अभिकर्ता ने हस्ताक्षर किए हों तो मुख्तारनामा संलग्न किया जाना चाहिए।

2 तब के सिवाय जबकि खनन पट्टे का आवेदन ऐसे क्षेत्र के लिए हो, जो, आवेदक द्वारा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के अधीन पहले से ही धारित हो, आवेदन केवल एक संहत क्षेत्र से ही संबंधित होना चाहिए।

3 क्षेत्र के उचित सीमांकन के लिए, विशेष रूप से जब आवेदित क्षेत्र 40 हैक्टर या कम हो, ऐसे बड़े आकार का मानचित्र, जो उपलभ्य हो सके, संलग्न किया जाना चाहिए।"

(8) प्ररूप-ञ के पैरा 2 में—

(क) खंड (5) और (6) का लोप किया जाएगा।

(ख) खंड (7) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(7) ऐसे शपथपत्र के साथ जिसमें यह वर्णित हो कि आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन यथा विहित आयकर की अद्यतन विवरणियां फाइल कर दी गई हैं और संदेय कर का संदाय, जिसके अन्तर्गत स्वयं निर्धारण कर भी सम्मिलित है, कर दिया गया है।";

(ग) खंड (10) के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् —

"(10क) (क) क्या आवेदक, उस भूमि क्षेत्र पर जिसके लिए वह पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के नवीकरण की अपेक्षा करता है, सतही अधिकार बनाए रखे हुए है?

(ख) यदि नहीं तो क्या उसने सर्वेक्षण संक्रियाओं के लिए स्वामी और अधिभोगी की सहमति प्राप्त कर ली है। यदि ऐसा है तो भूमि के स्वामी और अधिभोगी से प्राप्त की गई लिखित सहमति फाइल की जाए।

(10ख) प्रत्येक राज्य में, खनिजवार क्षेत्रों की विशिष्टियां दर्शित करते हुए कोई ऐसा शपथपत्र जिसे आवेदक या उसके साथ संयुक्त रूप से कोई व्यक्ति—

(1) किसी पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के अधीन पहले से ही धारण कर रहा है,

(2) उसके लिए आवेदन किया है किन्तु मंजूर नहीं किया गया है; और

(3) उसके लिए साथ-साथ आवेदन किया है।

(10ग) खनन रेखांक में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे—

(क) खनिज निकाय का विस्तार उस स्थल या उन स्थलों को जहां प्रथम वर्ष में उत्खनन किया जाना है और उसके विस्तार को दर्शित करते हुए क्षेत्र का रेखांक, विस्तृत वर्ग गज आंकड़े और आवेदक या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इकट्ठे किए गए पूर्वेक्षण आंकड़ों के आधार पर उत्खनन के स्थल (स्थलों) के विस्तृत रेखांक; पट्टे के प्रथम पांच वर्षों के लिए खनन की कोई अनन्तिम स्कीम ;

(ख) क्षेत्र की खनिज आरक्षितियों सहित भूविज्ञान और आश्मिकी के ब्यौरे;

(ग) वर्ष दर वर्ष उत्खनन के लिए वार्षिक कार्यक्रम; और

(घ) प्राकृतिक जलमार्ग, वन क्षेत्र और वृक्षों की सघनता यदि कोई हो, वनों में खनन क्रियाओं के समाधान, भूमि सतह और वायु तथा जलप्रदूषण सहित पर्यावरण, दर्शित करने वाले क्षेत्र का रेखांक, वृक्षारोपण भूमि पुनरुद्धार, द्वारा क्षेत्र के पुनर्स्थापन के लिए स्कीम के ब्यौरे पर्यावरण नियंत्रण युक्तियों का उपयोग ;"

(9) प्ररूप ट में, भाग 7 में खंड 11 के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"11क. पट्टेदार, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी का संदाय नहीं करेगा;

11ख. पट्टेदार, खान अधिनियम, 1952 के उपबंधों का पालन करेगा ;

11ग. पट्टेदार, पर्यावरण की सुरक्षा के उपाय जैसे वृक्षारोपण भूमि का पुनरुद्धार पर्यावरण नियंत्रण युक्तियों के उपाय और अपने खर्च पर ऐसे अन्य उपाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किए जाएं।

11घ. पट्टेदार, भूमि के अधिभोगी को, उन नियमों में अधिकथित तारीख और रीति से प्रतिकर का संदाय करेगा।

(10) प्ररूप ठ में, खंड 4 का लोप किया जाएगा।

पाद टिप्पण :—मूल नियमों का पहले भी संशोधन किया गया था। ऐसे संशोधनों की सूची संलग्न है।

[फा. सं. 7/1/86-एम VI]

सूची

1 अधिसूचना सं. 1/34/71-एम-6 तारीख 21-5-73
2. अधिसूचना स. एम-II-152/62 तारीख 22-7-63
3. अधिसूचना सं. 1/34/68-एम-II तारीख 23-5-70
4 अधिसूचना स. 1/26/71-एम II तारीख 14-2-72
5. अधिसूचना स. 1/2/68-एम II तारीख 23-2-68
6 अधिसूचना स. 1/3/68-एम II तारीख 30-3-68
7. अधिसूचना सं. एम II-169/14/61 तारीख 7-9-61
8 अधिसूचना सं. 1/22/63-एम II तारीख 18-7-63
9 अधिसूचना सं. 1/74/75-एम II तारीख 2-5-79
10 अधिसूचना स. 1/3 68-एम VI तारीख 17-1-69
11 अधिसूचना स 1/33/67-एम VI जिल्द II तारीख 22-7-71
12 अधिसूचना सं एम II-160/14/61 तारीख 6-5-63
13. अधिसूचना स. 1/3/71-एम VI तारीख 6-9-71
14 अधिसूचना सं. 1/51/65-एम II तारीख 26-2-69
15. अधिसूचना स. एम II-162/II/62-तारीख 16-1-80
16 अधिसूचना सं 3/51/75-एम II तारीख 16-1-80
17 अधिसूचना सं. एम II-152/58/61 तारीख 30-4-63
18 अधिसूचना स एम II-153/33/59 तारीख 24-9-63
19. अधिसूचना सं. 1/26/66-एम VI तारीख 4-3-67
20 अधिसूचना सं. 7(4)/85-एम VI तारीख 22-9-86.

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Mines)

New Delhi, the 10th February, 1987

NOTIFICATION

G.S.R. 86(E).—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Mineral (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Concession Rules, 1960, namely :—

1. (1) These rules may be called the Mineral Concession (Amendment) Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mineral Concession Rules, 1960,—

(1) Rules 4, 4A, 5, 6, 7 and 7A shall be omitted.

(2) In rule 9, in sub-rule (2)—

(i) clauses (b) and c) shall be omitted;

(ii) after clause (d) but before the first proviso, the following clauses shall be inserted, namely :—

"(e) an affidavit stating that the applicant has—

(i) filed up-to-date income tax returns;

(ii) paid the income tax assessed on him; and

(iii) paid the income tax on the basis of self-assessment as provided in the Income Tax Act, 1961;

(f) an affidavit showing particulars of areas mineral-wise in each State, which the applicant or any person jointly with him—

(i) already holds under a prospecting licence;

(ii) has applied for but not granted; and

(iii) being applied for simultaneously.

(g) a statement in writing that the applicant has, where the land is not owned by him, obtained surface rights over the area or has obtained the consent of the owner for starting prospecting operations. Provided that no such statement shall be necessary where the land is owned by the Government."

(iii) in the first proviso, after the words "mining dues" the words "or income tax" shall be inserted.

3. After rule 10, the following rule shall be inserted, namely:—

"10A : Previous approval of the Central Government to be obtained by persons who are not Indian Nationals. No prospecting licence in respect of any mineral shall be granted to or renewed in favour of a person, who is not an Indian National, except with the previous approval of the Central Government."

4. In rule 11, for sub-rule (2), the following shall be substituted, namely :—

(2) (a) An application for the renewal of a prospecting licence shall be made at least ninety days before the expiry of the prospecting licence and shall be accompanied by—

(i) a statement relating to the prospecting operations already undertaken by the applicant;

(ii) the amount of expenditure incurred;

(iii) the numbers of hours and days for which the work was undertaken; and

(iv) the period which is required to complete the prospecting work.

(b) An application for the renewal of a prospecting licence shall be disposed of by the State Government before the expiry of the period of prospecting licence and if the application is not disposed of within that period, the licence shall be deemed to have been renewed for a period not exceeding the period prescribed for renewal of prospecting licence under sub-section (2) of section 7 of the Act, or the period for which an application is made, whichever is less."

5. In sub-rule (1) of rule 12, after the words "the State Government may," the words "after giving an opportunity of being heard and" shall be inserted.

6. In rule 14, in sub-rule (1), after clause (vii), but before the proviso the following clauses shall be inserted, namely :—

(viii) the licensee shall not pay a wage less than the minimum wage prescribed by the Central or the State Government from time to time under the Minimum Wages Act, 1948;

(ix) the licensee shall observe the provisions of the Mines Act, 1952;

(x) the licensee shall take such measures for planting in the same area or any other area selected by the Central or the State Government not less than twice the number of tress destroyed by reason of any prospecting operations or to the extent possible, the restoration of flora and other vegetation destroyed by such operations as directed by the Central or the State Government from time to time at his own expense;

(xi) the licensee shall pay to the occupire of surface of the land such compensation as may become payable under these rules;

(xii) the licensee shall comply with the Mineral Conservation and Development Rules framed under section 18."

7. In rule 22, in sub-rule (3) in clause (i).—(i) sub-clauses (b) and (c) shall be omitted; (ii) in sub-clause (d) before the first proviso, the following sub-clauses shall be inserted, namely :—

"(e) a mining plan duly approved by the Central Government. The mining plan shall incorporate :—

(i) the plan of the area showing the extent of mineral body; spot or sports where the excavation is to be done in the first year and its extent; a detailed cross-section and detailed plan of spot (s) of excavation based on the prospecting data gathered by the applicant or any other person; a tentative scheme of mining for the first five years of the lease;

(ii) details of the geology and lithoolgy including mineral reserves of the area;

(iii) the extent of manual mining or mining by use of machinery and mechanical devices;

(iv) the plan of the area showing natural water courses, forest areas and density of trees if any, assessment of impact of mining activity on forest, land surface and environment including air and water pollution; details of scheme for restoration of the area by afforestation, land reclamation, use of pollution control devices and such other measures as may be directed by the Central or the State Government from time to time;

(v) any other matter which the Central Government may require the applicant to provide in the mining plan;

(f) an affidavit stating that the applicant has—

(i) filed up-to-date income tax returns;

(ii) paid the income tax assessed on him; and

(iii) paid the income tax on the basis of self-assessment as provided in the Income-Tax Act, 1961;

(g) an affidavit showing particulars of area mineral-wise in each state, which the applicant or any person jointly with him.—

(i) already holds under a mining lease;

(ii) has already applied for but not granted;

(iii) being applied for simultaneously;

(h) a statement in writing that the applicant has, where the land is not owned by him, obtained surface rights over the area or has obtained the consent of the owner for starting prospecting operations :

Provided that no such sătement shall be necessary where the land is owned by the Government.

8. After rule 22, the following rules shall be inserted, namely :—

"22A Mining operations to be in accordance with Mining Plans :

(1) Mining operations shall be undertaken in accordance with the mining plan duly approved by the Central Government.

(2) A mining plan may be modified with the prior approval of the Central Government during the operation of a mining lease.

22B Mining plan to be prepared by recognised persons :—

(1) No mining plan shall be approved by the Central Government unless it is prepared by a qualified person recognised in this behalf by the Central Government.

(2) No person shall be recognised by the Central Government for purposes of sub-rule (1) unless he holds—

(i) a degree in mining engineering or a postgraduate degree in Geology granted by a University established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act of a State Act, including any institution recognised by the Unversity Grants Commission established under section 4 of the University Grants Commission Act, 1956 or any equivalent qualification granted by any University or institution outside India; and

(ii) experience of five years of working in a supervisory capacity in mining operations after obtaining the degree.

(3) A person recognised to prepare a mining plan may also carry out modifications of an existing mining plan.

22C Grant of recognition by Central Government :

(1) Any person possessing the qualifications and experience referred to in sub-rule (2) of rule 22B may apply for being recognised as a recognised person to the competent authority appointed for the purpose by the Central Government.

(2) The competent authority, after making such enquiry as it deems fit, may grant or refuse to grant recognition and where recognition is refused, the competent authority shall record reasons in writing and communicate the same to the applicant

(3) A recognition shall be granted for an initial period of two years and shall be renewable for the like period:

provided that the competent authority may refuse to renew recognition for reasons to be recorded in writing after giving

an opportunity of hearing to the person concerned.

(4) An appeal shall lie to the Central Government against the order of the competent authority refusing to grant or renew an application for recognition.

Explanation : For the purpose of this rule, the Controller General and the Regional Controller of Mines of the Indian Bureau of Mines, shall be deemed to be competent authority."

9. After rule 23, the following rule shall be inserted, namely :—

"23A. Previous approval of the Central Government to be obtained for grant of mining lease to persons who are not Indian Nationals—No mining lease in respect of a mineral shall be granted to or renewed in favour of a person, who is not an Indian National except with the previous approval of the Central Government."

10. Sub-rule (2) of rule 24, shall be omitted.

11. After rule 24, the following rules shall be inserted, namely :—

"24A. Renewal of mining lease :—

(1) An application for the renewal of a mining lease shall be made to the State Government in Form J, at least twelve months before the date on which the lease is due to expire, through such officer or authority as the State Government may specify in this behalf.

(2) An application for the first renewal of a mining lease granted in respect of a mineral specified in the First Schedule to the Act, may, subject to the provisions of sub-section (2) of section 8, and with the previous approval of the Central Government, be granted by the State Government.

(3) An application for the first renewal of a mining lease granted in respect of a mineral which is not specified in the First Schedule to the Act may, subject to the provisions of sub-section (2) of section 8, be granted by the State Government.

(4) An application for the renewal of a mining lease shall be disposed of within a period of six months from the date of its receipt.

(5) If an application is not disposed of within the period specified in sub-rule (4) it shall be deemed to have been refused.

(6) If an application for first renewal of a mining lease made within the time referred to in sub-rule (1) is not disposed of by the State Government before the date of expiry of the lease, the period of that lease shall be deemed to have been extended by a further period of one year or end with the date of receipt of the orders of the State Government thereon, whichever is shorter.

(7) The second or subsequent renewal of a mining lease in respect of any mineral, shall be granted by the State Government only with the prior approval of the Central Government and be subject to the provisons of sub-section (3) of section 8.

24B. Renewal of mining lease in favour of a person using the mineral in his own industry :—

Every person who is holding mining lease for a mineral which is used in his own industry shall be entitled for the renewal of his mining lease for a period of ten years unless he applies for a lesser period.

Explanation :—"Own industry" means an industry of which the lessee is the owner or in which he holds not less than fifty per cent of controlling interest."

12. In sub-rule (1) of rule 26, after the words "The State Government." the words "after giving an opportunity of being heard and" shall be inserted.

13. In rule 27—

(i) in clause (c) of sub-rule (1), for the words "within the limits specified in Schedule IV as may be fixed from time to time by the State Government" the words "at the rates specified in the Third Schedule" shall be substituted;

(ii) after clause (p) of sub-rule (1), the following clauses shall be added, namely :—

"(q) the lessee shall not pay a wage less than the minimum wage prescribed by the Central or State Government from time to time under the Minimum Wages Act, 1948;

(r) the lessee shall observe the provisions of Mines Act, 1952;

(s) the lessee shall take such measures for planting in the same area or any other area selected by the Central or State Government not less than twice the number of trees destroyed by reason of any mining operation or to the extent possible, the restoration of flora and other vegetation destroyed by such operations;

(t) the lessee shall pay to the occupier of the surface of the land such compensation as may become payable under these rules;

(u) the lessee shall comply with the Mineral Conservation and Development Rules framed under section 18."

14. For Rule 28, the following rule shall be substituted, namely :—

"28. Lapsing of leases :—

(1) Subject to the other conditions of this rule where mining operations are not commenced within a period of one year from the date of execution of the lease, or is discontinued for a continuous period of one year after commencement of such operations, the State Government shall, by an order, declare the mining lease as lapsed and communicate the declaration to the lessee.

(2) Where a lessee is unable to commence the mining operation within a period of one year from the date of execution of the mining lease, or discontinues mining operations for a period exceeding one year for reasons beyond his control, he may submit an application to the State Government, explaining the reasons for the same, at least three months before the expiry of such period;

(3) Every application under sub-rule (2) shall be accompanied by a fee of Rs. 200/-;

(4) The State Government may on receipt of an application made under sub-rule (2) and on being satisfied about the adequacy and genuineness of the reasons for the non-commencement of mining operations or discontinuance thereof, pass an order before the date on which the lease would have otherwise lapsed, extending or refusing to extend the period of the lease :

Provided that where the State Government on receipt of an application under sub-rule (2) does not pass an order before the expiry of the date on which the lease would have otherwise lapsed, the lease shall be deemed to have been extended until the order is passed by the State Government or until a period of one year, whichever is earlier.

Explanation :—Where the non-commencement of the mining operations within a period of the mining operations within a period of one year from the date of execution of minings lease is on account of delay in—

(a) acquisition of surface rights; or

(b) getting the possession of the leased area; or

(c) supply or installation of machinery; or

(d) getting financial assistance from banks, or any financing institutions;

and the lessee is able to furnish documentary evidence supported by a duly sworn affidavit, the State Government may consider if they are sufficient reasons and/or beyond the control of lessee for the non-commencement of operations."

15. In sub-rule (1) of rule 59, in clause (e), for the words "reserved by Government" the words "reserved by the State Government" shall be substituted.

16. After rule 71, the following chapter and rules shall be added, namely :—

"CHAPTER—X

72. Payment of compensation to owner of surface rights etc. :—

(1) The holder of a prospecting licence or mining lease shall be liable to pay to the occupier of the surface of the land over which he holds the prospecting licence or as the case may be, the mining lease, such annual compensation as may be determined by an officer appointed by the State Government by notification in this behalf in the manner provided in sub-rules (2) to (4).

(2) In the case of agricultural land, other than land referred to in sub-rule (4), the amount of annual compensation shall be worked out on the basis of the average annual net income from the cultivation of similar land for the previous three years.

(3) In the case of non-agricultural land, the amount of annual compensation shall be worked out on the basis of average annual letting value of similar land for the previous three years.

(4) The annual compensation referred to in sub-rule (1) shall be payable on or before such date as may be specified by the State Government in this behalf.

73. Assessment of compensation for damage :—

(1) After the termination of a prospecting licence or a mining lease, the State Government shall assess the damage, if any, done to the land by the prospecting or mining operations and shall determine the amount of compensation payable by the licensee or as the case may be, the lessee to the occupier of the surface land.

(2) Every such assessment shall be made within a period of one year from the date of termination of the prospecting licence or mining lease and shall be carried out by an officer appointed by the State Government by notification in this behalf.

74. Issue of notification where prospecting operations are to be undertaken by the Geological Survey of India etc.

(1) Where a prospecting operation is to be undertaken by the Geological Survey of India, the Indian Bureau of Mines, the Atomic Minerals Division of the Department of Atomic Energy of the Central Government, the Directorate of Mining and Geology of any State Government (by

whatever name called), or the Mineral Exploration Corporation Limited, the State Government shall issue a notification in the Official Gazette giving details of the area, and the period for which prospecting operations are to be undertaken.

(2) The State Government shall not grant any prospecting licence or mining lease to any other person for an area or a part thereof in relation to which a notification has been issued under sub-rule (1).

(3) The State Government may revoke a notification issued under sub-rule (1), if the prospecting operations have been completed before the expiry of the period stated in the notification.

75. Prospecting or mining operation by State Governments :—

(1) Where a State Government proposes to undertake prospecting or mining operations of any mineral, it shall issue a notification in the Official Gazette giving details of the area and the period for which such operations are proposed to be undertaken.

(2) Where a prospecting or mining operations is undertaken by a person on the basis of a contract or sub-contract or on any other basis with the State Government, every such person shall be deemed to be a licensee, or as the case may be, a lessee for the purposes of these rules and shall accordingly be subject to all its provisions and the provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 1958."

17. In Schedule I,—

i) FORMS A, A-1 and A-2 shall be omitted.

(ii) in paragraph 3, of FORM B,—

(a) clauses (v) and (vi) shall be omitted ;

(b) after clause (x), the following clause shall be inserted, namely :—

"(xiiA) (a) Does the applicant have surface rights over the area for which he requires a prospecting licence ?

(b) If not, has he obtained the consent of the owner, and the occupier of the land for undertaking prospecting operations. If so, the consent of the owner and the occupier obtained in writing be filed."

(c) for clause (xiii) the following clause shall be substituted, namely :—

"(xiii) An affidavit, that the up-to-date income-tax returns, as prescribed under the Income Tax Act, 1961, have been filed, and the tax due, including the tax on account of self assessment has been paid." ;

(d) in cluase (xiv),

for the words, "within the jurisdiction of the State Governments", the words, "in each State duly supported by an affidavit", shall be substituted ;

(iii) FORM C shall be omitted ;

(iv) in paragraph 2, of FORM E,—

(a) Clauses (v) and (vi) shall be omitted ;

(b) for clause (vii) the following clause shall be substituted, namely :—

"(vii) An affidavit, that the up-to-date Income Tax returns, as prescribed under the Income Tax Act, 1961, have been filed and the tax due, including the tax on account of self-assessment has been paid." ;

(c) After clause (vii), the following clauses shall be inserted, namely :—

"(xiiA) (a) Does the applicant continue to have the surface rights over the areas of the land for which he requires renewal of the prospecting licence ?

(b) If not, has he obtained the consent of the owner and the occupier for undertaking prospecting operations ? If so, the consent of the owner and occupier of the land obtained in writing, be filed.

(xiiB) Particulars of the area mineralwise in each State only supported by an affidavit for which the applicant or any person jointly in interest with him—

(a) already holds under prospecting licence ;

(b) has already applied for but not granted ; or

(c) being applied for simultaneously."

(v) in FORM F,—

(a) in PART II, after paragraph (9), the following paragraphs shall be inserted, namely :—

"(9A) To pay a wage not less than the minimum wage prescribed by the Central or State Government from time to time.

(9B) To comply with the provisions of the Mines Act, 1952.

(9C) To take measures, at his own expense, for the protection of environment like planting of trees, reclamation of mined land, use of pollution-control devices, and such other measures as may be prescribed by the Central or State Government from time to time.

(9D) To pay compensation to the occupier of the surface of the land on the date and in the manner laid down in these rules;"

(b) in Part IV, in paragraph (3), after the words, "conditions of the prospecting licence" the words, "has undertaken prospecting operations to establish mineral resources in such land" shall be inserted.

(c) in paragraph (3A), for the words "equal to half the period for which the licence was originally granted" the words "not exceeding the period prescribed for the renewal of prospecting licence under sub-section (2) of section 7 of the Act, or the period for which an application is made, whichever is less" shall be substituted.

(vi) in FORM H, after item 7, the following items shall be inserted, namely :—

"7A. The details of the area and the minerals in each State for which the applicant holds prospecting licence on the basis of information supplied by the licensee."

(vii) For ORM I, the following Form shall be substituted, namely :—

"FORM I

(TO BE SUBMITTED IN TRIPLICATE)

Government of.....

Received.....
at.....(Place)
on.....(date)
Initial of
Receiving Officer

Application for Mining Lease

[See rule 22(1) of the Mineral Concession Rules, 1960]

Dated the.....day of.....19...

To,

_____

_____

Through :

Sir,

I/We request that a mining lease under the Mineral Concession Rules, 1960 may be granted to me/us.

2. A sum of Rs. 500/- and Rs. 1,000/- being the fees in respect of this application and preliminary expenses respectively payable under sub-rule (3) of rule 22 of the said rule have been deposited (vide receipt Challan No.....dated.... of the State Bank of India/Treasury.....)

3. The required particulars are given below :

(i) Name of the applicant with complete address.
Status of the applicant

(ii) Is the applicant a private individual/co-operative/firm/association/ private company/public company/public sector undertaking/joint sector undertaking or any other.

(iii) In case the applicant is,—

(a) an individual, his nationality, qualifications and experience relating to mining.

(b) a private company, the nationality of the members/Board of Directors of the company alongwith place of registration and copy of certificate of incorporation

(c) a public company, the nationality of its directors, the percentage of share capital held by Indian nationals alongwith its place of incorporation and copy of certificate of incorporation.

(d) firm or Association, the nationality of all the partners of the firm or members of the association; and

(f) a co-operative the nationality of non-Indian members, if any alongwith place of registration and a copy of the certificate of registration.

(iv) Profession or nature of business of applicant

(v) Particulars of documents appended :

Document	Reference
(a) Mining dues clearance certificate	
OR	
(b) Affidavit in lieu of Mining Dues Clearance Certificate; subject to the production of mining lease dues, clearance certificate within the period of ninety days of making application.	
OR	
(c) Affidavit when not holding any mining lease.	
(d) Affidavit that up-to-date Income tax Returns as prescribed under the Income Tax Act, 1961 and that the tax due including the tax on account of self-assessment has been paid.	

(vi) Mineral or minerals which the applicant intends to mine

(vii) Period for which mining lease is required

(viii) Extent of the area for which mining lease is required

(ix) Details of the area in respect of which mining lease is required

District	Taluqa	Village	Khasra No.	Plot No.	Area	Ownership/Occupancy

(x) Brief description of the area with particular reference to the following :

(a) Does the applicant have surface rights over the area for which he is making an application for grant of a mining lease.

(b) If not, has he obtained the consent of the owner, and the occupier of the land for undertaking mining operation. If so, the consent of the owner and occupier of the land be obtained in writing and be filed.

(xi) (a) the situation of the area in respect of natural features such as streams or lakes.

(b) in the case of village areas, the name of the village, the Khasra number, the area in hectares of each field or part thereof applied for.

(c) In case the area applied for is under forest, then the following particulars be given :

(1) Forest division, Block and Range

(2) Legal status of the forest. (namely reserved, protected, unclassified etc.)

(3) Whether it forms part of a National Park or Wild-life sanctuary.

(4) Type and extent of vegetation in the area.

(5) For areas where no forest maps or cadastral maps are available, a sketch plan should be submitted on scale showing the area applied for together with boundary, if any, of any other existing mining lease or prospecting licence area, if the area applied for has any common point or line with the boundaries of existing prospecting licence on mining lease areas.

(xii) The area applied for should be marked on plans as detailed below:

(a) In case a cadastral Map of the area is available, the area on this map should be marked showing the name of the village, Khasra Number and area in hectares of each field and part thereof.

(b) In the case of forest maps the area should be marked on the map showing the range and felling series.

(c) In case neither cadastral nor forest maps are available, the area should be marked on a sketch plan drawn to scales howing on this plan all important surface and natural features, the dimensions of the lines forming the boundary of the area and the bearing and distance of all corner points from any important, prominent and fixed point or points.
(No. 1(3)/68-MII Dt. 30-3-68)

(xiii) Particulars of the areas mineral-wise in each State duly supported by an affidavit for which the applicant or any person joint in interest with him.

(a) already holds under mining lease

(b) has already applied for but not granted;

(c) being applied for simultaneously :

(xiv) Nature of joint in interest, if any

(xv) (a) Does the applicant hold a prospecting licence over the area mentioned at (xi) above ? If so, give its number and date of grant and the date when it is due to expire.

(b) Has the applicant carried out the prospecting operations over the area held under prospecting licence and sent his report to the State Government, as required by rule 16 of the Mineral Concession Rules, 1960 ? If not, state reasons for not doing so.

(xvi) Broad parametors of the mineral/ore body/bodies

(a) Strike length, average width and dip.

(b) Wall rocks on hanging and foot wall sides.

(c) Whether area is considerably disturbed geologically or is comparatively free of geological disturbances. (copy of geological map of the area is to be attached).

(d) Reserves assessed with their grade(s) (chemical analysis reports of representative samples are to be attached)

(e) Whether the area is virgin. If not, the extent to which it has already been worked. In case there are old workings, their locations are to be shown on the geological map of the area.

(xvii) Broad parameters of the mine

(a) Proposed date of commencement of the mining operations.

(b) Proposed rate of mineral production during the first 5 years (year-wise)

(c) Proposed rate of production when mine is fully developed.

(d) Anticipated life of the mine

(e) Proposed method of mining. Underground or opencast)

(i) If underground, the method of approach to the deposit mineral/ore-whether through inclines or shafts.

(ii) If opencast, the over-burden to ore ratio and overall pit slope.

(f) Nature of the land chosen for dumping overburden/waste and tailings (that is type of land whether agricultural, grazing land, barren, saline land etc.) and whether proposed site has been shown on the mine working plan. Give also the extent of area in hectares set apart for dumping of waste and tailings.

(xviii) A mining plan whether duly approved by the Central Government. (to be attached with this application)

(xix) Manner in which the mineral raised is to be utilised

(a) (i) if for captive use, the location of plant and industry.

(ii) for sale for indigenous consumption.

(b) if for exports to foreign countries indicate.

(i) names of the countries to which it is likely to be exported where the mine is being set up on 100% export oriented or tied-up basis.

(ii) whether mineral will be exported in raw form or after processing. Also indicate the stage of processing, whether intermediate stage or final stage of the end-product.

(c) if it is to be used within the country, indicate—

(i) the industry/industries in which it would be used.

(ii) whether it will be supplied in raw form or after processing (crushing/grinding/beneficiation/calcining).

(iii) whether it would need upgradation and if so, whether it is proposed to set up beneficiation plant. Also indicate the capacity of such plant and the time by which it would be set up.

(d) in case of coal, or other high bulk minerals/ores details of existing railway transport facility available and additional transport facilty, if any, required.

(xx) Name, qualification and experience of the Technical Personnel available for supervising the mines.

(xxi) (i) Financial resources of the applicant.

(ii) Anticipated yearly financial investment during the course of mine construction and aggregate investment upto the stage of commencement of commercial production.

(xxii) (a) Nature of waste water, (e.g. whether acidic). If so, expected PH value.

(b) The application form should be accompanied by a statement of the salient features of the scheme of mining. This should be generally on the lines of the "Project at a Glance given in a mining feasibility report including features relating to the protection of environment.

We do hereby declare that the particulars furnished above are correct and am/are ready to furnish any other details including accurate plans and security deposit, as may be required by you.

Yours faithfully

Place :

Date :

Signature of the Applicant.

The topographical map of 1"=1 mile scale is obtainable from the office of the Survey of India, Hathibarkhala, Dehra Dun.

Detailed plan and topographical map are to be attached in triplicate with the original application in case mineral applied for is a scheduled mineral.

Note 1—If the application is signed by an authorised agent of the applicant, then the Power of Attorney should be attached.

Note 2—The application should relate to one compact area only, except when the application for mining lease is for an area already held under prospecting licence by the applicant.

Note 3—Such large size map, as may be available should be attached for proper demarcation of the area, specially when the area applied for is 40 hectares or less (No. MII-152 (58)|61 dt. 30-4-63)."

(viii) in paragraph 2 of FORM J,—

(a) Clauses (v) and (vi) shall be deleted.

(b) for clause (vii) the following clause shall be substituted, namely :—

"(vii) an affidavit, that uptodate Income Tax returns, as prescribed under the Income Tax Act, 1961, have been filed, and the tax due, including the tax on account of self-assessment has been paid."

(c) after clause (x), the following clauses shall be inserted, namely :—

"(xA) (a) Does the applicant continue to have surface rights over the area of the land for which he requires renewal of the mining lease.

(b) If not, has he obtained the consent of the owner and occupier for undertaking mining operations. If so, the consent of the owner and occupier of the land obtained in writing, be filed.

(xB) Particulars of the areas mineral-wise in each State duly supported by affidavit for which the applicant or any person joint in interest with him.

(a) already holds under mining lease ;

(b) has already applied for but not granted, or

(c) being applied for simultaneously.

(xC) a mining plan which shall include—

(a) the plan of the area showing the nature and extent of the mineral body, spot or spots where the excavation is to be done in the first year and its extent, a detailed cross-section and detailed plan of spot(s) of excavation based on prospecting data gathered by the applicant, a tentative scheme of mining for the period of the lease ;

(b) the details of geology and lithology of the area, the extent of manual mining and through machines ;

(c) annual programme and plan for excavation from year to year ; and

(d) the plan of the area showing natural water courses ; limit of reserved and other forest areas and density of trees, assessment of impact of mining activity on Forest, Land surface and Environment including air and water pollution, and details of the scheme for restoration of the same by afforestation, land reclamation, use of pollution control devices."

(ix) in Form K, in PART VII, after clause 11, the following clauses shall be inserted, namely :—

"11A. The lessee shall pay a wage not less than the minimum wage prescribed by the Central or State Government from time to time ;

11B. The lessee shall comply with provisions of the Mines Act, 1952 ;

11C. The lessee shall take measures for the protection of environment like planting of trees, reclamation of land, use of pollution control devices ; and such other measures as may be prescribed by the Central or State Government from time to time at his own expense.

11D. The lessee shall pay compensation to the occupier of the land on the date and in the manner laid down in these rules."

(x) in Form N, clause 4 shall be omitted.

Foot-note : The principal rules were amended earlier also. A list of notifications for such amendments is enclosed.

[F. No. 7(1)|86-M. VI]

THE LIST

1. Notification No. 1|34|71-M-6 dt. 21-5-73.
2. Notification No. M.II-152(37)|62 dt. 22-7-63.
3. Notification No. 1(34)|68-M.II dt. 23-5-70.
4. Notification No. 1(26)|71-M.VI dt. 14-2-72.
5. Notification No. 1(2)|68-M.II dt. 23-2-68.
6. Notification No. 1(3)|68-M.II dt. 30-3-68.
7. Notification No. M.II-169(44)|61 dt. 7-9-61.
8. Notification No. 1(22)|62-M.II dt. 18-7-63.
9. Notification No. 1(74)|75-M.VI dt. 2-5-79.
10. Notification No. 1(3)|68-M.VI dt. 17-1-69.
11. Notification No. 1(33)|67-M.VI (Vol. II) dt. 22-7-1971.
12. Notification No. M.II-169(44)|61 dt. 6-9-63.

13. Notification No. 1(3)|71-M.VI dt. 6-9-71.
14. Notification No. 1(51)|65-M.II dt. 26-2-69.
15. Notification No. M.II-152(11)|62 dt. 6-5-63.
16. Notification No. 3(51)|74-M.VI dt. 16-1-80.
17. Notification No. M.II-152(58)|61 dt. 30-4-63.
18. Notification No. M.II-152(33)|60 dt. 24-9-63.
19. Notification No. 1(26)|66-M.VI dt. 4-3-67.
20. Notificttion No. 7(4)|85-M.VI dt. 22-9-86.

अधिसूचना

सा.का.नि. 87(अ) :—केन्द्रीय सरकार खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन अधिनियम, 1986 (1986 का 37) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 10 फरवरी 1987 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन अधिनियम, 1986 (1986 का 37) प्रवृत्त होगा।

[फाइल सं. 1(7)/84-एम-6]

टी. ए. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

G.S.R. 87(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Amendment Act, 1986 (37 of 1986), the Central Government hereby appoints the 10th February, 1987 as the date on which the Mines and Minerals (Regulation and Development) Amendment Act, 1986 (37 of 1986) shall come into force.

[F. No. 1(7)|84-M.VI]

T. N. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GCVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987